

राष्ट्रीय प्रेस दविस

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष **16 नवंबर** को पूरे भारत में **राष्ट्रीय प्रेस दविस** मनाया जाता है।

भारतीय प्रेस परिषद:

■ परिचय:

- यह पहली बार वर्ष 1966 में **भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965** के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापति किया गया था, जिसका दोहरा उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और **समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने** एवं इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था।
- अर्द्ध-न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इसे वर्ष **1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत फरि से स्थापति** किया गया था।
- भारतीय प्रेस परिषद एकमात्र निकाय है जो **प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्तव्य में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है।**

■ संगठन:

- यह परिषद एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसमें **एक अध्यक्ष और 28 सदस्य** होते हैं।
 - इसमें सभापति का चयन **लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति** और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है।

■ उद्देश्य:

- प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखना।
- भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना एवं सुधार करना।

■ भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ:

- **भूमिकाएँ:**
 - इस परिषद के पास **अनुसंधान करने, किसी भी प्रस्तावित कानून, नियम या प्रेस से संबंधित अन्य मद पर अपनी राय देने** और उस राय को उपयुक्त अधिकारियों को संप्रेषित करने का अधिकार है।
 - लोक महत्त्व के मामलों में परिषद संज्ञान ले सकती है और मौके पर जाँच करने के लिये एक विशेष समिति का गठन कर सकती है।
- **ज़िम्मेदारियाँ:**
 - समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करना।
 - उच्च पेशेवर मानकों के अनुसार समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिये एक आचार संहिता का निर्माण करना।
 - समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से सार्वजनिक महत्त्व के उच्च मानकों को बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि अधिकारों एवं ज़िम्मेदारियों की भावना को बढ़ावा दिया जाए।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स